राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NIRDPR
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 310

प्रगति

समाचार पत्र

मार्च 2021

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

सततयोग्य कृषि विकास के लिए संस्थानों का पुनर्गठन

आवरण कहानी:
सततयोग्य कृषि विकास के लिए
संस्थानों का पुनर्गठन पृष्ठ 3 - 6

विषय-सूची पृष्ठ संख्या

एमओआरडी, एनआईआरडीपीआर ने नोएडा हाट, उत्तर प्रदेश में किया सरस आजीविका मेला - 2021 का आयोजन 7

ग्रामीण पत्रकारिता ब्यूरो चीफ/ संपादकों के लिए टीओटी तैयार करने संबंधी विचार मंथन सत्र 11

एमजीएनआरईजीएस के तहत लाभार्थियों द्वारा काम की मांग में बदलाव: गिरिडीह, झारखंड के क्षेत्र दौरे के आधार पर प्रारंभिक टिप्पणियां 12

लेखन हस्तकला 14

ग्रामीण विकास संस्थानों के संकाय के लिए प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 16

(पीटी हुई मिट्टी) एवं (ढली हुई मिट्टी) दीवार निर्माण पर दो दिवसीय प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला 18

केरल के वडक्कनचेरी में धान की मैट को बिछाते हुए ग्रीन आर्मी के स्वयंसेवक।

फोटो साभार: पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया

सततयोग्य कृषि के लिए संस्थानों का पुनर्गठन

कोविड-19 के समय में कृषि

कृषि की भूमिका इस तथ्य से जुड़ी है कि यह भारत में ग्रामीण जनता के लिए रोजगार और आजीविका अवसर का सबसे बड़ा स्त्रोत है। यह लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को रोजगार देता है और देश की जीडीपी में लगभग 20 प्रतिशत योगदान देता है। इस अवधि के दौरान यह क्षेत्र लगभग 3.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जहां अन्य सभी प्रमुख क्षेत्रों ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। ग्रामीण परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और कृषि विकास में तेजी लाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में कई पहल की गईं। हालांकि, कोविड-19 ने अर्थव्यवस्था में विकास की संभावनाओं को कम कर दिया है और कृषि क्षेत्र को भी नहीं बख्शा है। दिलचस्प बात यह है कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जिसने उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया है और देश के लाखों ग्रामीण गरीबों की आजीविका को खतरे में डाला है। यह ग्रामीण जीवन के बदलते स्वरूप को परिभाषित करने में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर पुन: बल देता है। हालांकि, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न हालिया स्थिति कृषि क्षेत्र में परिवर्तन हेतु आवश्यक संस्थागत बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

दिलचस्प बात यह है कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जिसने उत्पादक आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया है और लाखों ग्रामीण गरीबों की आजीविका को खतरे में डाला है।

कृषि विकास कार्यक्रम और संस्थाओं का केंद्रीकृत स्वरूप

आजादी के बाद कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए कई रणनीतियां और नीतियां बनाई गई थीं। यह न केवल खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र की संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बल्कि ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार महत्वपूर्ण था जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थे। कृषि विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत किया गया था जिसमें राज्य की प्रमुख भूमिका थी और हमें खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिली। इस परिवर्तन के लिए जिन संस्थाओं की स्थापना की गई जो मुख्यत: सार्वजनिक संस्थाएं थी जो स्वरूप और निष्पादन में केंद्रीकृत थे। यह काफी हद तक इस तथ्य से प्रभावित था कि भारतीय कृषि में नीति निर्धारण एक दोधारी तलवार है जो मांग (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब उपभोक्ता) और आपूर्ति पक्ष (छोटे और सीमांत कृषक) पर कमजोर आबादी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा भारतीय कृषि में इनपुट और आउटपुट बाजारों की प्रकृति और विशेषताओं ने ऐसे संस्थानों की मांग की है। क्षेत्र में अथक प्रयासों और हस्तक्षेपों के बावजूद, संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस क्षेत्र में वृद्धि प्रभावशाली नहीं थी। कई विद्वानों के अध्ययन ने सीमित कारकों और बाधाओं की पहचान की है जो क्षेत्र में विकास और रणनीतियों का समाधान करते हैं। हालांकि, विभिन्न इनपुट और आउटपुट बाजार अवरोध कृषि क्षेत्र के परिवर्तन को प्रभावित करती है।

मय्यिल चावल उत्पादक कंपनी द्वारा स्थापित स्टोर; फोटो साभार: डॉ. सुरजीत विक्रमण

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से स्थानीय और सूक्ष्म मूल्य श्रृंखलाओं में बदलाव

वैश्विक मूल्य श्रृंखला और स्थूल स्तर की प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान बाधित हो गई और ग्रामीण आजीविका प्रभावित हुई । इस सदमे से जीवन और आजीविका की रक्षा करने और मानवता के हित में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, महामारी ने उत्पादन, वितरण और खपत के साधनों, तरीकों, प्रक्रियाओं और संगठन को फिर से परिभाषित किया है। यह हमें उन संस्थानों की प्रकृति, रूप, संरचना और भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए मजबूर करता है जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया और कृषि से लाभ के वितरण की प्रकृति और विशेषताओं को सुविधाजनक बनाया है।

पहले की गई चर्चा के अनुसार कृषि एकमात्र क्षेत्र है जिसने इस अवधि के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। स्थूल मूल्य श्रृंखलाओं की तुलना में वृद्धि को सूक्ष्म मूल्य श्रृंखलाओं के समर्थन से काफी हद तक बढ़ाया है। सूक्ष्म मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने से मूल्य श्रृंखला कारकों में अधिशेष के समान वितरण की क्षमता होती है और उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों के कुशल और स्थायी उपयोग में मदद मिलती है। यह समग्र और सतत विकास में योगदान देता है। 'वोकल फॉर लोकल' और 'एक जिला और एक उत्पाद' ऐसे कार्यक्रमों के उदाहरण हैं जो सूक्ष्म मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने की इस रणनीति के समर्थक हैं। ऐसी सूक्ष्म मूल्य श्रृंखलाओं की गतिविधियों और कारकों का समर्थन करने के लिए संस्थानों को डिजाइन करने की आवश्यकता है। इसमें न केवल आउटपुट प्रबंधन के पहलुओं का समर्थन करना चाहिए, बल्कि इनपुट के स्थायी और कुशल उपयोग का भी ध्यान रखना चाहिए।

कृषि बाजार की बाधाओं के लिए संस्थागत नवाचार

उत्पादन और उत्पादकता के स्तर पर महत्वपूर्ण लाभ के बावजूद, कृषि क्षेत्र में कई बाधाएं से ग्रस्त है, मुख्य रूप से कारक और उत्पाद बाजार की विकृतियों के कारण। इन बाधाओं को दूर करने के लिए इन बाजार की खामियों और उपयुक्त नीति तंत्रों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप किसानों और भूमिहीन मजदूरों को कम स्तर का लाभ मिलता है। विभिन्न कृषि बाजारों (इनपुट और आउटपुट बाजार बाधाओं) में इन खामियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं का समाधान करने के उद्देश्य से कई नीतियां और कार्यक्रम किए गए कृषि उत्पादन प्रणालियों की विशेषताओं को परिभाषित करते हैं और कृषि समुदाय के कल्याण को प्रभावित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कई संस्थागत नवाचार हुए हैं जिन्होंने विभिन्न बाजार खामियों को दूर करने की कोशिश की है। इन संस्थागत व्यवस्थाओं की शुरुआत सहकारी समितियों के रूप में हुई, और बाद में स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), समूह कृषि समितियों, किसान हित समूहों / क्लबों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसान संगठनों के कई रूपों में हुई। उत्पादन के कारकों की उपलब्धता और उपयोग में आने वाली बाधाओं का समाधान करें। सामाजिक आर्थिक स्थिति और बदलते नीतिगत माहौल को देखते हुए, छोटे धारक, किसान उत्पादकों की आजीविका में सुधार करने के लिए, उन्हें एक संस्थागत व्यवस्था का समर्थन किया जाना चाहिए, जो:

क) समानांतर समन्वय, उत्पादन और इनपुट की खरीद के एकत्रीकरण और विपणन के माध्यम से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण,

ख) सौदेबाजी की स्थिति में सुधार,

ग) व्यापार के लिए उत्पादन, खरीददार, कीमत, मात्रा और गुणवत्ता की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने में तकनीकी सहायता,

घ) सूचना प्राप्त करने और उत्पादन तथा विपणन को व्यवस्थित करने में मांग में लागत को कम करना, और

ङ.) उत्पादन और विपणन में अनिश्चितताओं और छूट जोखिमों को नियंत्रित करना।

संस्थागत नवोन्मेषण के प्रमाण

देश के पक्ष में कई संस्थागत नवाचार हो रहे हैं, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में वृद्धि और ग्रामीण परिवर्तन रणनीतियों में परिणामी असफलता को रोकते हुए इन कुछ कृषि बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है। वर्तमान संदर्भ में, दो संस्थागत नवाचारों के बारे में बात करना दिलचस्प है जो केरल राज्य में कृषि बाजारों में बाधाओं (इनपुट और आउटपुट बाजार बाधाएं) की प्रतिक्रिया में बनाए गए थे। पहला संस्थागत नवाचार "ग्रीन आर्मी" का गठन है जो केरल में त्रिचुर जिले के वाडक्कांचरी ब्लॉक में एक सिंचित चावल उत्पादन प्रणाली में कृषि उत्पादन प्रथाओं का प्रदर्शन करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था है। यह कल्याण की रक्षा करने के लिए एक संस्था के रूप में भी कार्य करता है, और इस क्षेत्र में खेतिहर मजदूरों के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन के माध्यम से जीवन स्तर की सुनिश्चित करता है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं। दूसरा संस्थागत नवाचार एक किसान समूह है जिसने कृषि उत्पादन को बनाए रखने और उन पर निर्भर परिवारों आजीविका की रक्षा के लिए खुद को किसान उत्पादक संगठन में संगठित किया है। केरल के कन्नूर जिले के मय्यिल पंचायत

में मय्यिल कृषक उत्पादक कंपनी ने कृषि कार्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन करने के लाभों को पुनः प्राप्त करने और उसी समय में उत्पादन बाजार की गतिविधियों को विकेंद्रीकृत या विघटित करने के लिए एक अनूठी रणनीति अपनाई है। इन दोनों संस्थानों का गठन कृषि उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से मौजूदा संस्थागत मॉडल के अनुरूप किया गया था, लेकिन वे मार्ग से भटक गए और उन समुदायों की विकास चुनौतियों को दूर करने में विशिष्टता बनाए रखी, जिनसे वे उलझ रहे हैं। वे उत्पादन से सततयोग्य आय को सुनिश्चित करते हुए उत्पादन प्रक्रिया की समावेशिता में सुधार करने का भी प्रयास करते हैं।

इनपुट बाजार बाधक तत्वों का समाधान करना:

ग्रीन आर्मी

ग्रीन आर्मी का गठन एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसके कारण कृषि विकास में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक संस्था का निर्माण हुआ है। इसका गठन केरल में त्रिचुर जिले के वाडक्कांचेरी ब्लॉक पंचायत में हुआ था, जब यह क्षेत्र धान की खेती के तहत कृषि उत्पादन में कमी और क्षेत्र में कमी का सामना कर रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान खेती से दूर हो गए। उन्होंने पहचान की कि खेती में बढी हुई लागत कृषि में नुकसान का प्रमुख कारण है, जो मुख्य रूप से श्रम सेवा की उच्च लागत से प्रेरित है। कृषि पद्धतियों के पारंपरिक तरीके और आधुनिक मशीनरी तथा प्रौद्योगिकियों को अपनाने की कमी खेती की लागत बढ़ाने के अन्य कारण थे। मजदूरों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें निश्चित कार्य दिवसों की अनिश्चितता और सामाजिक सुरक्षा की कमी और अन्य लाभ शामिल थे। कृषि क्षेत्र के हितधारकों ने श्रम क्षेत्र को औपचारिक और संस्थागत बनाकर इस मुद्दे में हस्तक्षेप किया। आउटपुट में ग्रीन आर्मी का गठन हुआ।

ग्रीन आर्मी ने मजदूरों की पूरी स्थिति को बदलने के साथ-साथ वाडक्कांचरी ब्लॉक पंचायत में कृषि क्षेत्र को भी बदल दिया। उन्होंने अलग-अलग मजदूरों को संगठित किया और उन्हें कुशल श्रम शक्ति बनाने के लिए कौशल वृद्धि और क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दिया। वे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा माप, निश्चित कार्यदिवस और निश्चित वेतन के हकदार हैं, जिसने मजदूरों को सशक्त बनाया। इसने वाडक्कांचरी के क्षेत्रों में एक मशीनीकरण अभियान शुरू किया जहां पारंपरिक कृषि प्रथाओं का पालन किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में कमी आई और उस क्षेत्र में संगठित कृषि प्रणाली का विकास हुआ जिसने किसानों को ग्रीन आर्मी और धान की खेती की ओर आकर्षित किया। ग्रीन आर्मी एक ऐसी प्रणाली के रूप में विकसित हुई जो प्रत्येक कार्य के लिए एक निर्दिष्ट शुल्क पर अनुबंध के आधार पर सभी कृषि गतिविधियाँ करती है। इसने धान की खेती में लगे किसानों के जोखिम को कम कर दिया। ग्रीन आर्मी ने पदशेखर समिति* को मजबूत बनाने में मदद की और विभिन्न ऋणों तथा वित्तीय सुविधाएं को प्राप्त करने के लिए बैंकिंग सहायता भी प्रदान की और इस प्रकार, कृषि क्षेत्र में स्थायी आजीविका विकल्पों के निर्माण में योगदान दिया।

विकेंद्रीकृत विपणन और केंद्रीकृत उत्पादन: मय्यिल चावल उत्पादक कंपनी (एमआरपीसी)

मय्यिल चावल उत्पादक कंपनी (एमआरपीसी) द्वारा मय्यिल में धान की खेती के संस्थानीकरण ने क्षेत्र में एक केंद्रीकृत उत्पादन और विकेन्द्रीकृत विपणन द्वारा धान की खेती करने में मदद की। एमआरपीसी ने किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया और मूल्यवर्धन के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त की, जिसने खेती की ओर अधिक किसानों को बढ़ावा दिया और इसे आजीविका का एक सतत विकल्प बनाया। यह कृषि क्षेत्र को एक आजीविका विकल्प से एक सफल उद्यम में बदल सकता है।

इस पहल की विशिष्टता एक केंद्रीकृत उत्पादन और विकेंद्रीकृत विपणन रणनीति थी। पडशेखरम समिति द्वारा खेती की सामूहिक प्रक्रिया द्वारा चावल के उत्पादन को तब मिनी राइस मिलों की मदद से संसाधित किया जाता था, जिन्हें घरेलू स्तर पर संचालित किया जा सकता है।

धान की खेती की प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हुए ग्रीन आर्मी का एक स्वयंसेवक; फोटो साभार: पीपुल्स आर्चीव ऑफ रूरल इंडिया

मय्यिल मॉडल की सफलता में मिनी मिलों की महत्वपूर्ण भूमिका है ताकि इसे विकेंद्रीकृत मूल्यवर्धन और मार्किंग नेटवर्क बनाया जा सके। यह उन क्षेत्रों के लिए प्रभावी है, जहां अधिकांश किसानों के पास छोटे और सीमांत भूधारक केंद्रीकृत फसलोत्तर प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना के लिए बड़ी पूंजी आवश्यकताओं तक पहुँचने के लिए विवश है । यह स्थिति भारत में लगभग समान है जिसमें छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है।

इन दो संस्थागत नवाचारों ने प्रमुख कृषि बाजार बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन को रोकता हैं और उन पर निर्भर आबादी के जीवन और आजीविका में योगदान दिया है।

इन संस्थाओं के उभरने में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का नेतृत्व और प्रयास है, जो स्थानीय स्वशासन के लिए संस्था हैं। संबंधित क्षेत्रों के पीआरआई ने इन दोनों संस्था के गठन की सुविधा

** पदशेखरम धान के खेत का एक मिला हुआ स्ट्रेच है जो एक प्राकृतिक इकाई के रूप में काम कर सकता है। यह अलग-अलग काश्तकारों के स्वामित्व वाली भूमि के कई भूखंडों के एकत्रीकरण से बनता है। सिंचाई प्रबंधन में अक्सर कृषि संबंधी कठिनाईयाँ और फायदे पदशेखरम के गठन की सुविधा प्रदान करते हैं। पडशेखरम समिति भूमि के व्यक्तिगत भूखंडों के मालिकों की इकाई है जो पदशेखरम की उत्पादन प्रक्रिया और प्रबंधन करता है।*

पॉलिश किए गए चावल की विविधता को प्रदर्शित करते हुए एमआरपीसी कर्मचारी; फोटो साभार: डॉ. सुरजीत विक्रमण

और समर्थन किया तथा कृषि बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी स्थापना के लिए एक सहज गति सुनिश्चित किया। उन्होंने एक मंच बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई जिसने समस्या के समाधान की दिशा में काम करने के लिए विभिन्न शोध संस्थानों, कृषि विकास एजेंसियों, काम में लगे हुए समुदायों और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग को सुनिश्चित किया।

इन बाधाओं को दूर करने के संभावित तरीकों का पता लगाने के लिए एक विस्तृत सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन किया गया और वे एक ऐसी रणनीति के साथ उपस्थित हुए जो इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है और समुदाय से समर्थन और भागीदारी सुनिश्चित करता है। इसने एक स्थायी कृषि उत्पादन प्रणाली की स्थापना के लिए अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, वित्तीय समावेशन और स्थानीय प्रशासन में लगे संस्थानों के अभिसरण की सुविधा प्रदान की।

अध्ययन किए गए दो संस्थानों के गठन ने निम्न के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है

क) स्थानीय स्वशासन, कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्तीय पहुंच और समावेश, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण विकास के संस्थानों का अभिसरण करना।

ख) कृषि मजदूरों के कौशल स्तर और प्रदर्शन में सुधार, श्रम की गरिमा का प्रावधान, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा का समर्थन जिसने उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है।

ग) ऐसे उपायों को अपनाना जो जेंडर संवेदनशील हों और जिसके परिणामस्वरूप जेंडर सशक्तिकरण हो।

घ) विभिन्न कृषि और ग्रामीण विकास संस्थानों के अभिसरण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए पारिस्थितिक रूप से सततयोग्य रणनीति।

ड.) स्थानीय रूप से अनुकूलनीय हस्तक्षेपों के माध्यम से कृषक समुदाय का समावेशी और सतत विकास।

इन दो संस्थागत नवाचारों ने कृषि बाजार की बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया है, जिसने सूक्ष्म स्तर के मुद्दों के समाधान खोजने में स्थानीय शासन (पीआरआई) की विकेन्द्रीकृत योजना और भूमिका के महत्व को दिखाया गया है जो स्थायी विकास में बाधा डालते हैं, इस प्रकार सूक्ष्म स्तर के लाभों में योगदान करते हैं।

ये वैश्विक समस्याओं के स्थानीय समाधान खोजने की दिशा में छोटे कदम हैं जो सतत ग्रामीण विकास में बाधा डालते हैं। यह समय की मांग है कि हम समान 'नव-संस्थानों' की तलाश करते हैं जो स्थायी ग्रामीण परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण आजीविका के विकेंद्रीकृत, समावेशी और सहायक हो।

डॉ. सुरजीत विक्रमण
एसोसिएट प्रोफेसर,
कृषि अध्ययन केंद्र, एनआईआरडीपीआर
कवर पृष्ठ / सामग्री पृष्ठ की तस्वीरें: **पीपुल्स आर्चीव ऑफ़ रूरल इंडिया**
कवर पेज डिजाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

26 फरवरी से 14 मार्च तक एमओआरडी, एनआईआरडीपीआर ने नोएडा हाट, उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला – 2021 आयोजित किया

सरस आजीविका मेला- 2021 का उद्घाटन करते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के उत्पादों का विपणन ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख समस्याओं में से एक है। ग्रामीण महिला कारीगरों को सशक्त करने उन्हें बेहतर बाजार और विपणन प्रणालियों तक पहुंच के द्वारा से गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 'सरस' ब्रांड नाम के तहत प्रदर्शनियों के आयोजन का समर्थन कर रहा है, जहां विभिन्न राज्यों के एसएचजी भाग लेते है और अपने उत्पादों को बेचते है।

'सरस मेला' ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक उल्लेखनीय पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को अपने कौशल और उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना और स्वंय के लिए एक बाजार विकसित करना है। यह ग्रामीण उत्पादकों को अपने उत्पादों को सीधे प्रमुख बाजारों में बेचने, खरीदारों के साथ बातचीत करने; परवर्ती रूझान, वरीयता और विकल्पों का अध्ययन तथा मझने के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है। मेले का उद्देश्य शिल्पकार और स्थानीय खरीदारों के बीच बिचौलियों को हटाना है और कारीगरों के लिए लाभ बढाना सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) योजना द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लाभार्थियों को उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने तथा उन्हें एक अतिरिक्त आय, एक्सपोजर और बड़े पैमाने पर बातचीत करने के अवसर के साथ लाभार्थियों को सुविधा और प्रेरणा प्रदान करना है।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), द्वारा दिल्ली/एनसीआर में विभिन्न अवसरों पर सरस मेलों का आयोजन किया जा रहा हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए, एनआईआरडीपीआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 26 फरवरी से 14 मार्च, 2021 तक नोएडा हाट, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 'सरस आजीविका मेला - 2021' का आयोजन करके एक नया कदम उठाया, जिसमें देश के संघ शासित प्रदेशों /27 राज्यों की लगभग 150 महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए भाग लिया। 'सरस' ब्रांड नाम के तहत यह प्रदर्शनी-सह-बिक्री अपने दर्शकों के लिए ग्रामीण कारीगरों, शिल्पकारों और देश के डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा प्रवर्तित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लाभार्थियों द्वारा हस्तशिल्प उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला लेकर आई है।

सरस आजीविका मेला - 2021 का उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा श्री कैलाश चौधरी, माननीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री के साथ 26 फरवरी, 2021 को नोएडा हाट में किया गया।

श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, एमओआरडी, डॉ.जी.नरेंद्र कुमार, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव, एमओआरडी, श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (आरएल), एमओआरडी, श्रीमती लीना जौहरी, संयुक्त सचिव (कौशल) एमओआरडी, श्री आर सिंह निदेशक (आरएल), एमओआरडी तथा विभिन्न अन्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी इस आयोजन के दौरान उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान नोएडा हाट की सांस्कृतिक समूहों ने माननीय अतिथियों और दर्शकों के समक्ष क्षेत्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। उद्घाटन समारोह के बाद, माननीय मंत्री ने स्टालों का दौरा किया और कारीगरों के साथ बातचीत की।

स्टालों ने पूरे भारत की महिलाओं के कौशल, क्षमता और कड़ी मेहनत को प्रदर्शित किया। उत्पादों में हथकरघा, हस्तशिल्प, कलाकृतियां और लोकप्रिय उत्पाद, आदिवासी आभूषण, सजावटी सामान, धातु उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, जैविक खाद्य पदार्थ, मसाले, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, साफ्ट खिलौने, उपयोगिता आइटम, पीतल और लोहे के उत्पाद और अन्य .कई आइटम शामिल थे। हस्तशिल्प के निर्माण में शामिल प्रक्रिया से जनता को परिचित कराने के लिए सरस आजीविका मेला में प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। मेले ने आम जनता के लिए सूचना केंद्र और मंत्रालय की कई आईईसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों को समझने का अवसर भी प्रदान किया है।

सरस आजीविका मेला-2021 में साध्वी निरंजन ज्योति, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

मेले के एक भाग के रूप में विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए मेला स्थल पर एक अत्यधिक परिष्कृत सांस्कृतिक हॉल और मंच का निर्माण किया गया था। मंत्रालय ने मेला के दौरान महिला प्रतिभागियों के सॉफ्ट स्किल्स के साथ-साथ पैकेजिंग में कौशल, उपभोक्ताओं के प्रबंधन के लिए कुछ कार्यशालाओं का आयोजन किया। आजीविका इंडिया फूड कोर्ट की स्थापना केरल के राज्य निर्धनता उन्मूलन मिशन कुटुम्बश्री के माध्यम से मंत्रालय द्वारा की गई थी, जिसने मेले के दौरान 10 राज्यों के व्यंजन पेश किया।

मेले के भाग के रूप में, मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत लाभार्थी महिला एसएचजी सदस्यों के लिए 150 स्टालों की स्थापना करने के लिए देश भर के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय ने इंडिया फूड कोर्ट में देश भर के विभिन्न राज्यों से 17 खाद्य स्टालों को स्थापित करने के लिए केरल के राज्य निर्धनता उन्मूलन मिशन कुटुम्बश्री को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया। एसआरएलएम को ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल (http://nrlm.gov.in) के माध्यम से एसएचजी के नामांकन भेजने का निर्देश दिया गया था। सभी राज्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को अनिवार्य कर दिया गया था और पोर्टल के माध्यम से स्टाल वितरण का भी ध्यान रखा गया था। राज्यों, वीआईपी, आरसेटी, सरस गैलरी और इंडिया फूड कोर्ट की श्रेणियों सहित कुल 178 स्टाल लगाये गए थे।

हमारे देश की विविधता और समान वस्तुओं की किस्मों को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए, स्टालों को तीन श्रेणियों, अर्थात प्राकृतिक खाद्य, हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के तहत वर्गीकृत किया गया था। बिना परेशानी के खरीदारी का अनुभव करने के लिए आगंतुकों की मदद करने के उचित पहचान सूचक और संकेत दिए गए थे।

सरस आजीविका मेला-2021 के कुछ विशेष आकर्षण इस प्रकार थे: हथकरघा: आंध्र प्रदेश के कलमकारी, चमड़े के लैंप शेड, पेंटिंग और काष्ठकला; असम से मेकलाचादर, बिहार से कॉटन और सिल्क साड़ी, छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी, गुजरात का भारत गुंथन और पैच वर्क, झारखंड की टसर सिल्क और कॉटन, झारखंड का दुपट्टा और मटेरियल, जम्मू-कश्मीर की पश्मीना शॉल, ड्रेस मटीरियल, ऊनी शॉल और उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश से जैकेट; दस्तकारी जूती, कर्नाटक से इलकल, मध्य प्रदेश की चंदेरी और बाग प्रिंट सामग्री, मेघालय का एरी उत्पाद, ओडिशा से टसर और बांदा, मोजरी, राजस्थान की मोजड़ी, चमड़े का सामान, तमिलनाडु से कांचीपुरम, तेलंगाना की पोचमपल्ली, उत्तराखंड से पश्मीना, उत्तर प्रदेश से चादरें और कॉटन सूट, कांता, बाटिक प्रिंट, तांत और बलूचरी साड़ी और पश्चिम बंगाल से ड्रेस मटीरियल।

हस्तशिल्प: आंध्र प्रदेश से पर्ल ज्वेलरी, बांस कला, जलकुंभी उत्पाद और असम से योग मैट; बिहार से लाक की चूड़ियाँ, मधुबनी पेंटिंग और बिहार से सिक्की शिल्प; छत्तीसगढ़ से बेल धातु उत्पाद; गोआ और उत्तर प्रदेश से सजावटी सामान, गुजरात से मिट्टी दर्पण काम और डोरी का काम; हरियाणा से धातु कला, टेराकोटा आइटम, कलाकृतियां; उत्तर पूर्व से कृत्रिम फूल कला; कर्नाटक से आभूषण; ओडिशा से सबाई घास के उत्पाद और ताड़ के पत्तों पर पटचित्र; पश्चिम बंगाल से डोकरा शिल्प, सीतलपट्टी, जूट हैंडबैग और विविध उत्पाद; झारखंड के आदिवासी आभूषण।

प्राकृतिक खाद्य पदार्थ: प्राकृतिक मसाले, राज्यों के ग्रीन प्रोडक्ट जैसे मसाले, अदरक, कॉफी, चाय, दालें, चावल, बाजरा उत्पाद, औषधीय पौधों के उत्पाद, कॉफी, पापड़, सेब का जैम, अचार, बेसन, चावल, काजू, ऑर्गेनिक दाल, चावल, ऑर्गेनिक सब्जियाँ और मसाले, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, केरल और उत्तराखंड आदि से शहद।

उद्‌घाटन समारोह के अवसर पर डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और साथ में श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी उपस्थित

इसके अलावा, फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स (एफडीआरवीसी) द्वारा उनसे जुड़े एसएचजी के उत्पादों की बिक्री के लिए चार स्टॉल भी लगाए गए थे। उत्पादों की बिक्री और उनके कौशल विकास कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आरसेटी (एमओआरडी के डीडीयू-जीकेवाई डिवीजन) द्वारा पांच स्टाल भी लगाए थे और बैंकों के लिए तीन स्टाल आबंटित किए गए थे।

केरल के राज्य निर्धनता उन्मूलन मिशन, कुटुम्बश्री ने एसएचजी सदस्यों द्वारा तैयार और परोसे जाने वाले लगभग 10 राज्यों के भारत के जातीय व्यंजनों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए इंडिया फूड कोर्ट में देश भर के विभिन्न राज्यों से 17 फूड स्टॉल लगाए। केरल के एक ट्रांसजेंडर एसएचजी ने फूड कोर्ट में जूस का नया स्टॉल लगाया। मेले के 17 दिनों के दौरान, इंडिया फूड कोर्ट ने कुल 36.26 लाख रुपये की बिक्री की।

तीन कार्यशालाएं - 'ई-मार्केटिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण उत्पादों का प्रचार', प्रसिद्ध सोशल मीडिया ब्लॉगर और फोटोग्राफर डॉ. कायनात काजी द्वारा संचालित, 'ग्रामीण उत्पादों की बेहतर डिजाइनिंग और पैकेजिंग', निफ्ट की संकाय डॉ. रितिका अग्रवाल और वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अपर्णा द्विवेदी द्वारा संचालित 'सेल्स कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजी ऑफ बायर्स' का आयोजन कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय और एफडीआरवीसी ने श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव (आरडी) की अध्यक्षता में फ्लिपकार्ट के साथ 'क्रेता और विक्रेता बैठक' का आयोजन किया। श्री चरणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (आरएल), ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रतिभागियों को उपरोक्त बैठक की अवधारणा के बारे में विस्तार से बताया।

माननीय केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने 9 मार्च, 2021 को ग्रामीण विकास मंत्रालय और एनआईआरडीपीआर के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मेले का दौरा किया। माननीय राज्य मंत्री (आरडी) ने विभिन्न स्टालों का दौरा किया, कारीगरों के साथ बातचीत की और ग्रामीण महिला एसएचजी को उनके कौशल और उनके द्वारा बनाए गए अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों की श्रेणी के लिए सराहना की।

श्री नगेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव (ग्रामीण विकास) ने 14 मार्च को स्टालों और इंडिया फूड कोर्ट का दौरा किया। मेले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह एसएचजी उद्यमियों का शहरी ग्राहको से परिचय कराने की सही जगह है । उन्होंने उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता की सराहना की।

सरस आजीविका मेला 2021 के दौरान
श्रीमती अलका उपाध्याय, आईएएस, अपर सचिव (ग्रा.वि) क्रेता और विक्रेता बैठक को सम्बोधित करते हुए

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने 26 मार्च को मेले के आयोजन की तैयारी की समीक्षा करने के लिए स्टालों का दौरा किया। दौरे के समय उन्होंने एसएचजी सदस्यों के साथ बातचीत की और मेले के सुचारू संचालन के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए।

श्रीमती अलका उपाध्याय अपर सचिव (ग्रामीण विकास) ने भी स्टालों और इंडिया फूड कोर्ट का दौरा किया और कारीगरों से बातचीत की।

सरस आजीविका मेला-2021 में कैबिनेट मंत्रियों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव/वरिष्ठ स्तर के अधिकारी, संसद सदस्यों और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी दौरा किया। रिचा अनिरुद्ध सहित कई हस्तियों ने भी मेले का दौरा किया और कार्यक्रम की सराहना की।

अंडमान और निकोबार की एक टीम और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) की महिला सदस्यों ने नोएडा हाट के सरस मेले का दौरा किया और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने विभिन्न उत्पादों को बनाने की पूरी प्रक्रिया, उत्पादों की विशेषताओं और इन मेलों और अन्य विपणन चैनलों के माध्यम से उत्पादों को बेचने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए कारीगरों के साथ बातचीत की।

युगांडा, सीजेक गणराज्य, आइसलैंड, वेनेजुला, पापुआ न्यू गिनिया, सर्बिया, लातविया, अल सल्वाडोर, यमन, ताइवान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, अमेरिका और ताजिकिस्तान जैसे देशों के राजदूतों/राजनायिकों ने 12 मार्च को मेले का दौरा किया और इस आयोजन की सराहना की।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढाने के लिए सरस आजीविका मेला के नोएडा हाट में एक सूचना केंद्र का निर्माण किया गया था। प्रतिदिन ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वीडियो पूरे दिन चलाए जाते थे। आगंतुकों के प्रश्नों का उत्तर देने और चल रहे मेले के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए परिचारकों को भी प्रतिनियुक्त किया गया था।

स्वयं सहायता समूहों को मेला के दौरान प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग से बचने के सख्त निर्देश दिए गए थे और ग्राहकों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की डिलीवरी के लिए केवल पर्यावरण अनुकूल बैग का उपयोग करने का निर्देश दिया गया । प्लास्टिक मुक्त मेलों को बढ़ावा देने और आयोजित करने के लिए मेले के दौरान ग्रामीण कारीगरों को 60,000 पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग वितरित किए गए।

मेले में राजस्थान की कलाकृतियों का प्रदर्शन

सरस आजीविका मेले में सभी एसएचजी, आगंतुकों और अधिकारियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्त पालन करने का निर्देश दिया गया था। निवारक उपाय के रूप में, स्टालधारकों (कारीगरों), कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और अन्य व्यक्तियों को 5000 मास्क वितरित किए गए। किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति के लिए स्टैंडबाय पर एम्बुलेंस के साथ एक स्वास्थ्य डेस्क स्थापित किया गया था।

संबंधित राज्य संयोजकों के समन्वय से प्रत्येक स्टाल की दिन-प्रतिदिन बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए एनआईसी मंडल के सदस्यों सहित एक टीम का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना राज्यों के सीआरपी को भी बिक्री रिकॉर्ड करने और कारीगरों को ऑनलाइन गतिविधियों में सहायता और प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा गया था। इंडिया फूड कोर्ट सहित सभी स्टालों से 17 दिनों में कुल बिक्री रू. 3.83 करोड़ रुपये हुई।

डीएवाई-एनआरएलएम योजना के तहत कार्यरत झारखंड की पत्रकार दीदी को मेले में आमंत्रित किया गया था। पत्रकार दीदी ने मेले पर ध्यान दिया और महत्वपूर्ण घटनाओं की तस्वीरें लीं और समाचार पत्र तैयार किया। इस कार्यक्रम में झारखंड और उत्तर प्रदेश के बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) ने भाग लिया। बीसी सखियों ने कारीगरों के साथ-साथ आगंतुकों को मेला स्थल में नकद जमा करने और निकालने की सुविधा प्रदान की।
मंत्रालय ने 8 मार्च, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने भाग लिया और सरस आजीविका मेला (नोएडा हाट) के लगभग 23 प्रतिभागी एसएचजी ने कार्यक्रम में भाग लिया। सरस आजीविका मेला 2021 में स्वयं सहायता समूहों, फूड कोर्ट, कारीगरों, राज्य समन्वयकों, सीआरपी-ईपी, बीसी सखियों, पत्रकार दीदी आदि की भागीदारी को स्वीकार करने वाले प्रमाण पत्र समापन दिवस पर जारी किए गए।

कुल मिलाकर, सरस आजीविका मेला-2021 एक बड़ी सफलता रही और इसने कारीगरों के साथ-साथ आगंतुकों पर भी प्रभाव डाला। प्रतिभागियों/कारीगरों ने बिक्री पर संतोष व्यक्त किया जबकि आगंतुकों ने भी इस पहल की सराहना की। मेले ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों, विशेष रूप से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के प्रचार में मदद की। प्रतिभागियों के ऑनलाइन पंजीकरण, बिक्री रिपोर्टिंग, उपस्थिति और मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-बिलिंग के सृजन की सराहना की गई।

श्री चिरंजी लाल कटारिया,
सहायक निदेशक और विभागाध्यक्ष (विपणन प्रकोष्ठ),

आंध्र प्रदेश का स्टाल

ग्रामीण पत्रकारिता पर ब्यूरो प्रमुखों/संपादकों के लिए टीओटी तैयार करने हेतु विचार मंथन सत्र

ग्रामीण मुद्दों को सम्मिलित करने हेतु ब्यूरो प्रमुखों और संपादकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन विचार मंथन सत्र 15 मार्च 2021 को आयोजित किया गया।

इस सत्र में महानिदेशक के अलावा, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति श्री. के. जी. सुरेश, श्री नीलेश मिश्रा, संस्थापक, गांव कनेक्शन, श्री यू. सुधाकर रेड्डी, संपादक-जांच, टाइम्स ऑफ इंडिया, डॉ. जॉय एलमोन, महानिदेशक, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, श्री जी. साजन, कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन केंद्र, तिरुवनंतपुरम और डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी), सीडीसी, एनआईआरडीपीआर ने सहभाग किया।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला ने पैनल के सदस्यों को संस्थान के बारे में जानकारी दी और बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया।

डॉ जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो के शोध का हवाला देते हुए कहा कि लोग मुख्य भोजन के बजाय टेलीविजन को प्राथमिकता देते हैं। "यह माध्यम की लोकप्रियता और वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता को दर्शाता है। अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इसलिए, वंचित वर्ग की समस्याओं का मीडिया द्वारा समाधान करने की आवश्यकता है। चार प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो काम करते है लेकिन कभी भी रिपोर्ट में उन्हें कवर नही किया जाता है, दूसरे जो एक ही समय में कम काम करते हैं उन्हें कवरेज मिलता है; तीसरा उन लोगों का एक समूह है जो मुश्किल से काम करते हैं, लेकिन सुर्खियों में रहते हैं और चौथा - ऐसे लोगों का समूह है, जो समस्याओं का प्रचार करते हैं लेकिन समाधान के लिए कुछ नहीं करते।" उन्होंने कहा, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए मीडिया की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल के कुलपति श्री. के. जी. सुरेश ने कहा कि संचार, ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन का एक अभिन्न अंग है। "यूट्यूब चैनल भारत में प्रमुख हैं और इसलिए, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपना उद्यम शुरू कर सकते हैं। कई लोग जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर हैं। उनमें से अधिक संस्था में लोक फर्जी खबरों का शिकार होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक-राजनीतिक समस्याएं होती हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए, फर्जी खबरों की पहचान प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग होना चाहिए," ऐसा उन्होंने कहा।

ग्रामीण आबादी को सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है, जो मुख्यधारा के मीडिया में परिलक्षित नहीं होती है। उन्होंने कहा कि इसलिए, सार्वजनिक प्रसारण मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक नई और जीवंत पहल की आवश्यकता है ।

गांव कनेक्शन के संस्थापक श्री. नीलेश मिश्रा ने उनके विभाग द्वारा सफलता की कहानियों के प्रलेखन के महत्व पर जोर दिया। "ग्रामीण मुद्दों को उठाने के लिए सरकार और मीडिया के बीच बेहतर तालमेल की कमी के कारण समानांतर मीडिया की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षकों को समुदाय/नागरिक पत्रकारों के कैमरा संचालन कौशल का लाभ उठाना चाहिए। इसमें से विषय वस्तु की तुलना करने, संपादित करने और सृजित करने के लिए राज्य स्तर पर एक तंत्र होना चाहिए" ।

श्री यू. सुधाकर रेड्डी, संपादक-जांच, टाइम्स ऑफ इंडिया ने ग्रामीण मुद्दों को सम्मिलित करने वाले स्टिंगर्स के सामने आने वाले मुद्दों जैसे कि सुरक्षा की कमी, कानूनी मुकदमे और कम/कोई वेतन नहीं के साथ वक्तव्य आरंभ किया । "उनकी रिपोर्टिंग कौशल, स्रोत और कथानक विचार रचना कौशल कमजोर हैं। ग्रामीण पत्रकारिता उद्यमिता/स्टार्ट-अप की आवश्यकता है क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उनके विकास में बाधक बन रहे है । उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण में आरटीआई अधिनियम, मीडिया नैतिकता, डेटा माइनिंग तकनीक, मीडिया अनुदान, रिपोर्टिंग के मूल तत्व, खोजी तकनीक और रचनात्मक लेखन जैसे विषय शामिल होने चाहिए" ।

केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के महानिदेशक डॉ. जॉय एलमोन ने कहा कि ग्रामीण पहलुओं का नकारात्मक पक्ष सुर्खियों में है, जबकि विकासात्मक गतिविधियां परिलक्षित नहीं होती हैं। "मुख्यधारा की मीडिया गलती खोजने में दिलचस्पी रखता है और इसलिए, स्थानीय समाचारों को कम कवरेज मिलता है। स्थानीय पत्रकारों/स्ट्रिंगरों, जिला स्तरीय पत्रकारों और समाचार डेस्क पर बैठे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए," ऐसा उन्होंने कहा।

श्री जी. साजन, कार्यक्रम प्रमुख, दूरदर्शन केंद्र, तिरुवनंतपुरम, ग्रामीण संचार को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रयोगों की योजना बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे की पहचान करने और सामुदायिक पत्रकारिता में नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग एवं संपादन के लिए सॉफ्टवेयर और कथाकथन के तरीकों पर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

सत्र के अंत में डॉ. जी. नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों को मुख्यधारा के पत्रकार, समुदाय/नागरिक पत्रकार आदि के रूप में अलग करके प्रशिक्षण की योजना बनाने की आवश्यकता है और विषय वस्तु तथा पाठ्यक्रम स्वतंत्र रूप से तैयार किया जा सकता है।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला ने धन्यवाद दिया ।

-सीडीसी पहल

एमजीएनआरईजीएस के तहत लाभार्थियों द्वारा काम की मांग में बदलाव: गिरिडीह, झारखंड के क्षेत्रीय दौरे पर आधारित प्रारंभिक निरीक्षण

झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में **एमजीएनआरईजीएस** के तहत सृजित परिसंपत्ति

2013-14 से 2019-20 के दौरान लाभार्थियों को व्यक्तिगत परिसंपत्ति प्रदान करने के बाद **एमजीएनआरईजीएस** के तहत लाभार्थियों द्वारा काम की मांग में बदलाव पर झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन जिले के चार नमूना ब्लॉकों अर्थात्, बेंगाबाद, गिरिडीह-सदर, जमुआ और पीरटांड में आयोजित किया गया था।

प्रगणक और व्यक्तिगत संपत्ति लाभार्थियों के साथ राज्य आयुक्त (आरडी), जिला अधिकारी, जिला विकास आयुक्त (डीडीसी), कार्यक्रम अधिकारी, एमआईएस विशेषज्ञ, ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी (बीपीओ) को शामिल करते हुए 5-9 फरवरी, 2021 के दौरान चार नमूना ब्लॉकों यें सात ग्राम पंचायतों में फोकस समूह चर्चाओं से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से प्रारंभिक अवलोकन किया गया। राज्य में इस तरह की गतिविधियों (स्थान-विशिष्ट और आवश्यकता-आधारित) की पहचान के लिए मानदंड **एमजीएनआरईजीएस** दिशानिर्देशों के अनुसार थे।

राज्य सरकार ने राज्य भर में व्यक्तिगत संपत्ति के लिए एक मॉडल परिसंपत्ति निर्माण मंच की शुरूआत की है और राज्य में नियोजित एवं कार्यान्वित प्रमुख व्यक्तिगत संपत्तियों में बिरसा मुंडा बागवानी योजना तथा बिरसा मुंडा हरित योजना के तहत कुएं, खेत सह खाई सह बांध, खेत तालाब, पोल्ट्री शेड, पशुशाला, रसोई उद्यान और वृक्षारोपण आदि हैं। श्रेणी-बी की परिसंपत्तियों को लागू करने के लिए, बुनियादी स्तर पर मनरेगा के तहत हितधारकों से अन्यथा अंतिम लाभार्थी यानी श्रमिकों की श्रृंखला इस प्रकार है।

उच्च स्तर पर, अर्थात ब्लॉक और जिला स्तर पर, क्लस्टर सुविधा टीम, इंटरमीडिएट पंचायत,

क्र.सं.	कौन	मुख्य कार्य	फोकस
1.	ग्राम पंचायत (जीपी)	तय करता है कि किस काम को किए जाने की आवश्यकता है	ग्राम स्तर पर योजना का क्रियान्वयन
2.	ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस)	जीपी को सहायता करता है	
3.	साथी (या मिस्त्री)	कार्यस्थलों/श्रमिकों के समूह का पर्यवेक्षण करना कम से कम 1 प्रति 100 श्रमिक	समय और गुणवत्ता विनिर्देशों के अंतर्गत परियोजना-विशिष्ट निष्पादन
4.	पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ)	मनरेगा कार्यों की योजना में जीपी को सहायता करना	कई परियोजनाएं
5.	सअ (कार्य)	परियोजनाओं का तकनीकी पर्यवेक्षण	कई परियोजनाएं

कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक, ब्लॉक स्रोत केंद्र, जिला पंचायत, जिला कार्यक्रम समन्वयक, नागरिक समाज संगठन, स्वयं सहायता समूह और केंद्र एवं राज्य सरकारें जैसे अन्य हितधारक हैं।

क्षेत्र निरीक्षण :

नमूना जीपी में व्यक्तिगत परिसंपत्ति पहचान और स्वीकृत परिसंपत्ति के मानदंड मॉडल पायलट दृष्टिकोण के परिणाम पर आधारित हैं- एमजीएनआरईजीएस के तहत सिंचाई के बुनियादी ढांचे (कुओं और खेत तालाबों) के निर्माण, श्रेणी-बी परिसंपत्तियों के निर्माण के कारण नमूना ग्राम पंचायतों की आर्थिक क्षमता से कृषि में विविधता आई है। इससे पहले, लाभार्थी, मानसून के आधार पर एकल फसल पर आश्रित थे। रोजगार कार्य भी बहुत कम थे (कृषि में औसतन 40 दिन का रोजगार)। सिंचाई स्रोतों की उपलब्धता के कारण अब तीन मौसमी फसलों की खेती की जा रही है। प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, मक्का, आलू, गेहूं और सब्जियां हैं। कृषि में परिवारों द्वारा रोजगार के कार्य में भी काफी वृद्धि हुई है (एक वर्ष में औसतन 250 दिन)। मनरेगा के तहत सिंचाई के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ-साथ इन ग्राम पंचायतों के नज़दीकी क्षेत्रों में बाजार सुविधाओं की उपलब्धता से दोनों में तुलनात्मक लाभ है। शहरी केंद्रों की निकटता, परिवहन सुविधाओं और सड़क संपर्क ने उन्हें अपने कृषि उत्पादों को समय पर बेचने में

मदद की है और इन केंद्रों में ताजी सब्जियों की मांग जारी है। हालांकि सहायता सेवाएं और अन्य संस्थागत मंच स्वाभाविक रूप में बहुत अपरिपक्व हैं (एसएचजी- II संपर्क, गठन चरण में एफपीओ), मनरेगा ने मौजूदा आजीविका को मजबूत करने, रोजगार बढ़ाने और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (मजदूरी रोजगार का प्रावधान तथा उपयोगी संपत्ति का निर्माण) के लिए एक बहुत ही उपयुक्त मंच बनाया है। इन सकारात्मक प्रभावों की सफलता के दर का आकलन नमूना ग्राम पंचायतों में कर्मचारियों के अधिकारियों की उचित ज्ञानवर्धक, सहायक और सहकारी प्रकृति के रूप में किया जाता है। श्रम बजट तैयार करने और रोजगार के गतिविधियों की पहचान करने में श्रमिकों की भागीदारी बहुत कम है क्योंकि यह देखा गया है कि इनमें से अधिकतर गतिविधियां ब्लॉक स्तरीय कार्यालय (बीडीओ) के कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बाहरी स्रोत से की जाती है और इन ग्राम पंचायतों में इसे पूरी तरह से किया गया। 2017-18 के दौरान पूरे मनरेगा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का आकलन और सत्यापन ठीक से किया गया, और बहुत सी शिकायतें नहीं की गई।

मनरेगा के तहत श्रेणी-बी परिसंपत्तियों के माध्यम से सीमांत, छोटे एवं अन्य कमजोर वर्गों को दिए गए समर्थन और कृषि के विविधीकरण के रूप में इन परिसंपत्तियों से अर्जित प्रत्यक्ष लाभ तथा संपत्ति प्राप्त करने वालों के लिए रोजगार में वृद्धि के बावजूद, इस प्रभाव को जमीनी स्तर पर परिवर्तित नहीं किया गया है। मनरेगा के तहत लाभार्थियों द्वारा काम की मांग में बदलाव के संबंध में, उन्हें व्यक्तिगत संपत्ति प्रदान करने के बाद, प्रारंभिक आंकड़ों से पता चलता है कि मनरेगा के तहत काम की मांग में कम मांग/मांग नहीं होने के प्रति बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है। काम की मांग के प्रभाव कारकों में गांव की परिधि / आसपास के रोजगार के अवसर, नौकरी की सुरक्षा, मनरेगा-अकुशल श्रम संबंधी कार्य और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हैं।

प्रारंभिक निरीक्षण इस प्रकार हैं:

- पहला, सुनिश्चित सिंचाई सुविधाओं (कुएं, धोभा (खेत तालाब) का निर्माण) आदि के कारण कृषि/फसल विविधीकरण के माध्यम से ग्रामीण आय में वृद्धि करना है। कार्यों का एक अन्य श्रेणी भूमि और पानी में निवेश के माध्यम से कृषि की उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित है: जल संरक्षण एवं संचयन सिंचाई और खेती के तहत बाजार के लिए फसल उत्पादन के विविधीकरण, पशुधन की देखरेख तथा क्षेत्र के विस्तार को सक्षम करने के रूप में कार्य करता है- ये सभी कार्य न केवल सीमांत कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, बल्कि खाद्य उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन आधार है।

- तीसरे आयाम में मनरेगा वृक्षारोपण (बिरसा मुंडा बागवानी योजना (बीएमबीवाई- 19/06/2018) और बिरसा हरित ग्राम योजना (बीएचएवाई- 13/5/2020)) के माध्यम से पेड़ों की सावधानीपूर्वक चयनित प्रजातियों के माध्यम से हरित पहल शामिल है। कोविड़-19 के दौरान, रोजगार की मांग को इन वृक्षारोपण योजनाओं के साथ-साथ मनरेगा के तहत सामग्री और मजदूरी घटक अनुपात दोनों को संतुलित करते हुए पूरा किया गया।

- पशुपालन विभाग, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी (जेएसएलपीएस) और वन विभाग के साथ एमजीएनआरईजीएस: दूसरा जोर अभिसरण पहल से आया, जिसमें अन्य विभागों में मौजूदा कार्यक्रमों के साथ मनरेगा को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। दूसरा जोर अभिसरण पहल से मिला, जिसमें अन्य विभागों में मौजूदा कार्यक्रमों के साथ मनरेगा को जोड़ने की परिकल्पना की गई है। श्रम और मजदूरी घटक मनरेगा से मिलेंगे जबकि सामग्री और तकनीकी इनपुट अन्य विभागों से मिलेंगे। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं था कि प्रारंभिक वर्षों में अभिसरण ने क्या हासिल किया था या क्या नहीं किया था, हाल के वर्षों में कार्यक्रम की भावना को कम किए बिना, लाभार्थियों की आजीविका बढ़ाने वाले सार्थक अभिसरण के कई उदाहरण हैं।

डॉ यू हेमंत कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर,
मजदूरी रोजगार और आजीविका केंद्र,
एनआईआरडीपीआर
श्री किरण कुमार सिंह,
अनुसंधान सहयोगी, सीडब्ल्यूई एवं एल

एमजीएनआरईजीएस के तहत बने एमजीएनआरईजीएस के तहत

कुएं के पास लाभार्थी निर्मित खेत तालाब

लेखन की शिल्पकला

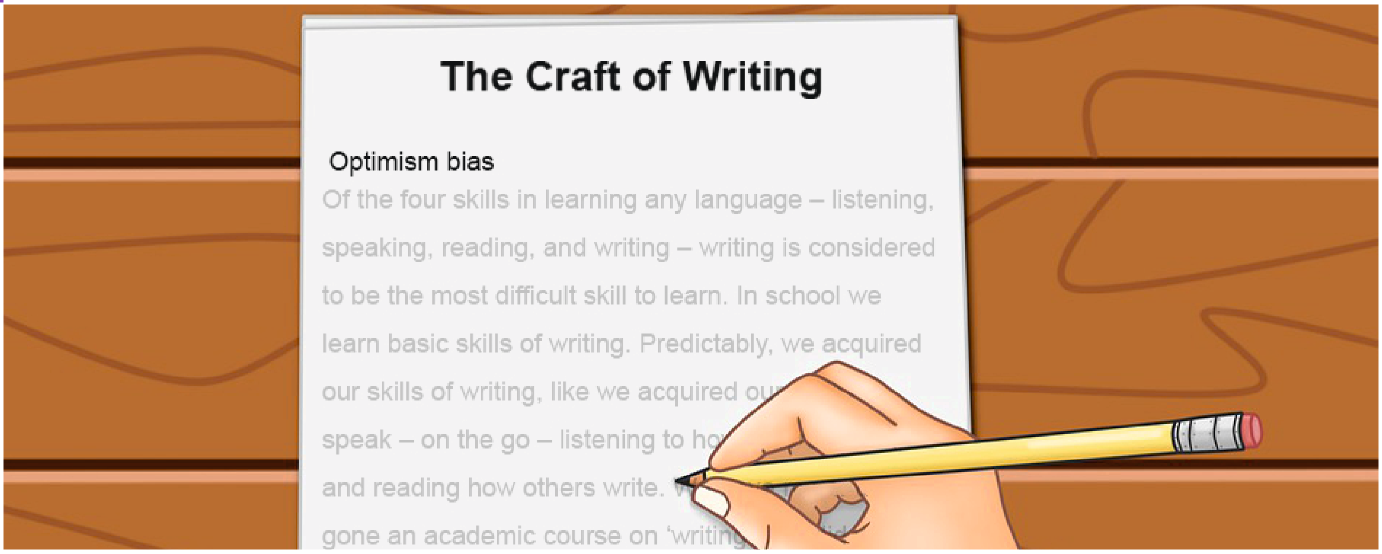

आशावादी पूर्वाग्रह

किसी भी भाषा को सीखने के चार कौशल - सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना - में से लिखना सीखना सबसे कठिन कौशल माना जाता है। स्कूल में हम लेखन के बुनियादी कौशल सीखते हैं। पुर्वानुमेय हम लिखने के अपने कौशल को हासिल कर लेते हैं, जैसे हम बोलने की क्षमता हासिल करते हैं - चलते-फिरते - यह सुनना कि दूसरे कैसे बोलते हैं, पढ़ते हैं और दूसरे कैसे लिखते हैं। हमने कभी भी 'लेखन' पर कोई शैक्षिक पाठ्यक्रम नहीं लिया है, न ही हमें लिखित में औपचारिक प्रशिक्षण मिला है। फिर भी, यह हमारी अभिलाषा या आशावादी पूर्वाग्रह है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है - हम अच्छा लिखते हैं। हम लगभग रोज लिखते हैं - हम आधिकारिक ईमेल, ई-ऑफिस नोट्स, क्षेत्र टिप्पणियाँ, मामला अध्ययन, शोध रिपोर्ट आदि लिखते हैं।

प्रशिक्षक, शोधकर्ताओं और विकास पेशेवरों के रूप में, हम बार-बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें हर समय रिपोर्ट या आधिकारिक नोट लिखना पड़ता है। सफलतापूर्वक लिखने के लिए, आपको एक महान लेखक बनने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनमें से एक नहीं हूँ। अपने आप को एक पेशेवर के रूप में पाठक के सामने पेश करें जो आपका ध्यान रखते के रूप में वे उनके घरों में स्वागत करते है । आपको केवल अपनी सोच और सुधार करने की तीव्र इच्छा की आवश्यकता है।

क्षेत्र टिप्पणियां क्या है और क्षेत्र डायरी क्या है?

अक्सर ऐसा होता है कि हम **क्षेत्र टिप्पणियां** और क्षेत्र डायरी में अंतर नहीं करते हैं। हम आसानी से बुलेट्स का उपयोग करते हैं जहां बुलेट्स अनुपयुक्त होते हैं, और जब हमें कुछ वस्तुओं को सूचीबद्ध करना होता है तो संख्या का उपयोग करते हैं। यदि किसी दिए गए संदर्भ में खड़ी सूची या आड़ी सूची उपयुक्त है तो हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अपने शोध कार्य का 'सारांश' लिखते हैं, और इसे 'सार' या ठीक इसके विपरीत कहते हैं।

आप एक सहकर्मी की समीक्षा की गई पत्रिका के लिए एक शोध लेख का 'सार' लिखते हैं, जिसमें 'आपने अपना सार कैसे तैयार किया है' में किसी भी वाक्य रचना का कोई पता नहीं चलता है। एक शोध पत्र का सार एक सूत्र के साथ लिखा जाना चाहिए ताकि आपके पाठक को पूरा लेख पढ़ने में आकर्षित किया जा सके। क्या आपके पास वह सूत्र है? मैं आपको इस लेख के अंत में एक या दो सूत्र दूंगा। ये और ऐसे अन्य विवरण अच्छे लेखन के 'मूल तत्त्व' कहलाते हैं, जिसे हमें विश्वविद्यालय के अकादमिक पाठ्यक्रम में सीखना चाहिए था। लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय इसे किसी अकादमिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश नहीं करता है। फिर भी हम लिखते हैं।

लेखन में विश्वस्तरीय निपुणता हासिल करना

हमने अपने शिक्षकों और अन्य लोगों की बात सुनकर सहज ज्ञान युक्त व्याकरण को सांस्कृतिक उपकरण के रूप में चुना। हमने किसी तरह के मिश्रित भाषा के व्याकरण के साथ बात करना शुरू किया। हम इसे लिखित रूप में प्रस्तावित करने के लिए समान कौशल की आशा करते हैं, हाई स्कूल के अंग्रेजी व्याकरण की कतिपय सहायता लेते हैं।

अंग्रेजी में बोलने से, संभवतः, हमें यह आत्मविश्वास मिलता है कि हम 'उसी बात को लिखित रूप में' प्रस्तुत कर रहे हैं – हमें लगता है कि लिखने को बस इतना ही है। शायद, यहाँ एक फुटनोट गायब है। यानी 'बेशक, हमें लिखते समय अल्पविराम और पूर्ण विराम का ध्यान रखना होगा'। नहीं। यह उतना सरल नहीं है। अच्छे लेखन कौशल की पकड़ में आने का सफर यहीं खत्म नहीं होता है।

एक अच्छे लेखन की सराहना करने के लिए, प्रो. मुहम्मद यूनुस द्वारा लिखित 'दि बैंकर टू द पुअर (ग्रामीण बैंक की कहानी)' के निम्नलिखित अंश पर विचार करें। "मेरे लिए गरीब बोन्जाई वृक्ष के समान हैं। जब आप छह इंच गहरे फूल के गमले में सबसे ऊंचे पेड़ का सबसे अच्छा बीज लगाते हैं, तो आपको सबसे ऊंचे पेड़ की एक उत्तम प्रतिकृति मिलती है, लेकिन यह केवल इंच में लंबा होता है।...उनके बीज में कुछ भी गलत नहीं है। केवल समाज ने ही उन्हें आगे बढ़ने का आधार नहीं दिया।" एक थीसिस तीन वाक्य कहता है, है ना? यह एक निपुण शिल्पी है। हम जिस तरह से तस्वीरें लेते हैं, वह लिख रहा है - क्षेत्र की गहराई पर पूरा नियंत्रण है।

इसलिए, जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखने से संबंध नहीं है क्योंकि बोलना और लिखना संचार के दो अलग-अलग माध्यम हैं। यदि आप लेखन को वैज्ञानिक अभ्यास के एक उद्देश्यपूर्ण शिल्प के रूप में देखते हैं, तो आप समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के लेखन हैं जो विविध उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। आपके ई-ऑफिस नोट को एक तकनीकी निबंध की तरह नहीं पढ़ सकते हैं, न ही आपके जर्नल लेख को वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे कि आप किसी समाचार पत्र को लिखते हैं। जब हम अपने स्वयं के लेखन की आलोचना करना शुरू करते हैं, तभी हमें इन जटिलताओं का एहसास होता है। किसी ने यह सच ही कहा है कि आधा लेखन पुनर्लेखन है।

अर्ध लेखन पुनर्लेखन है

इस लेख को लिखते समय एक शका उत्पन्न हुई: क्या यह अंग्रेजी बोलता है या अंग्रेजी में बोलता है? 'अंग्रेजी बोलना' आपकी बोलने की क्षमता को दर्शाता है, जबकि 'अंग्रेजी में बोलना' एक भाषा के विकल्प के बारे में है। इस तरह की बारीकियों को गतिरोधकों के रूप में काम करना चाहिए ताकि हम लेखन के शिल्प में महारत हासिल कर सकें। हम शब्दकोश देखते हैं, या ऑनलाइन सहायता का सहारा लेते हैं, इत्यादि।

हम इन मामूली विवरणों पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। हम खुशी से स्वीकृति देते हुए कहते हैं 'अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है'। जब हम जो कुछ भी करते हैं उसमें से अधिकांश में लेखन शामिल होता है, और यदि हम इन विवरणों को मामूली मानते हैं, तो हमारे शिल्प में व्यावसायिकता के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक फुटबॉल खिलाड़ी को गेंद पर ध्यान देना होता है, एक ड्राइवर को सड़क पर ध्यान देना होता है और एक लेखक को प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना होता है। निश्चित रूप से मैं लेखक नहीं हूं। लेकिन, मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें ज्यादातर लेखन शामिल होता है। मैं दूसरों को पढ़ने के लिए लिखता हूं। मुझे अपने पाठक का सम्मान करना चाहिए। अपने ई-मेल, ई-ऑफिस नोट्स और अन्य लेखों के माध्यम से आप एक प्रदर्शनी की मेजबानी करते हैं कि आप अपने शिल्प में कितने कुशल और निपुण हैं; या आपका दिमाग कितना अव्यवस्थित है और आप कितने असंगठित हैं।

अपने शिल्प के कौशल में निपुण

लेखन को बढ़ईगिरी के रूप में देखना चाहिए, जहां आप उपकरणों के एक समूह के साथ काम कर सकते हैं। ऑनलाइन शब्दकोश, ऑनलाइन कोश, तथा विन्यास शब्दकोश जैसे उपकरण हमें अपने लेखन में अव्यवस्था को दूर करने और स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करते हैं, यदि केवल हम स्पष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। आपके कंप्यूटर माउस का राइट क्लिक एक सीमित सीमा तक मदद करता है। यदि आप अपने द्वारा सीखे गए हाई स्कूल के अंग्रेजी व्याकरण को याद करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हाई स्कूल में, हमें उन नियमों के बारे में पढ़ाया जाता था जो सक्षम करने वाले उपकरणों के बजाय बाधा उत्पन्न करते हैं। हमें अतीत को तोड़ने की जरूरत है, और आधुनिक उपकरण एवं ऑनलाइन सहायता की खोज करनी चाहिए जो 'सक्षम' हों।

कथेतर साहित्य लिखने के लिए लगभग सभी शास्त्रीय मार्गदर्शक (सदाबहार स्ट्रंक जूनियर और ई बी व्हाइट 1919, से लेकर आज के रॉय पीटर क्लार्क, 2019 तक) बताते हैं कि हमें दो महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए: (i) आप जो लिखते हैं उसका पाठक कौन है; और (ii) जिस उद्देश्य से आपका लेखन है उसे पूरा करना है। तीसरा, मैं जोड़ना चाहता हूं, यदि आपका लेखन एक शोध रिपोर्ट या एक सहकर्मी की समीक्षा की गई पत्रिका के लिए एक तार्किक निबंध है, तो हमें एक आलोचक गहराई में जाने की जरूरत है और देखें कि आपके आलोचक के साथ कौन सा प्रतिद्वंद्वी तर्क/वैकल्पिक विवेचन जुटा सकते हैं।

मैंने हाल ही में एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के दौरान महसूस किया कि आपका श्रोता जो आपने अपनी प्रस्तुति में पेश किया है उसे एक उल्लेखनीय नया अर्थ दे सकता है। इस प्रकार, मेरी प्रस्तुति जिसका आशय [प्रश्नों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत करते हुए] 'चिंतन को बढ़ावा देना' था लेकिन दोषदर्शी होने के कारण आलोचना की गई। मुझे दुबारा पता चला कि मैं स्ट्रंक जूनियर (1919) और विलियम जिंसर (2016) जैसे दिग्गजों की सलाह को ध्यान में रखने में विफल रहा।

अव्यवस्था से मुक्ति

अकादमिक लेखन शायद ही कभी विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों में एक पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसका अर्थ है कि हमने कभी भी लेखन में कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, सिवाय इसके कि हमने अपने हाई स्कूल के अंग्रेजी शिक्षकों से कुछ बुनियादी/परंपरागत व्याकरण सीखा है। लेकिन, हम सभी लिखते हैं- कभी-कभी यह स्पष्ट होता है, और कभी-कभी यह अस्पष्ट होता है। यह आशंकित तब होता है जब कोई आपके पाठ को पढ़ सकता है और एक ऐसा अर्थ ले सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एकमात्र स्पष्टता लाने के लिए अव्यवस्था को कम करने में आवश्यक प्रयास नहीं करते हैं। विलियम जिंसर (2016) की 303 पन्नों की 'ऑन राइटिंग वेल' नामक किताब में पूरी तरह से अव्यवस्था से मुक्ति कैसे पाएं के बारे में जानकारी दी है।

मेरे इस लेख के समापन से पहले, मैं आपको कुछ उदहारण तौर पर मूल तत्त्व बताता हूं जैसे कि मैंने इस लेख की शुरुआत में वादा किया था कि मैं आपको दूंगा।

(1) खड़ी सूची या आड़ी सूची: यह जानकारी के कई जटिल अंशों को प्रबंधनीय खंडों में प्रस्तुत कर रहा है। उदाहरण के लिए, इस तरह की आड़ी सूची के बजाय: मैंने चार मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक अपशिष्ट जल प्रणाली तैयार की है। वे हैं: यह 1 लाख रुपये के बजट से अधिक नहीं होना चाहिए; इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; इसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए; और इसमें न्यूनतम रखरखाव शामिल होना चाहिए। (आड़ी सूची)

हम यह कह सकते हैं:
मैंने चार मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एक अपशिष्ट जल प्रणाली तैयार की है। वे हैं:

i. यह रू. 1 लाख के बजट से अधिक नहीं होना चाहिए;
ii. इसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए;
iii. इसके लिए बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए;
iv. और इसमें न्यूनतम रखरखाव शामिल होना चाहिए।

[खड़ी सूची]।
इसी तरह, जब हम किसी शोध परियोजना के उद्देश्यों को लिखते हैं, तो हमें उन्हें हमेशा संख्या लिखकर क्रम देना चाहिए। हमें कभी भी बुलेट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने शोध में शामिल किए जाने वाले उद्देश्यों की संख्या के बारे में दृढ़ रूप से स्पष्ट हैं। अन्य शब्दों में, जैसे आप अपने शोध कार्य में प्रगति करते हैं, वैसे उद्देश्यों की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि आप उसी तकनीक का उपयोग नहीं करते जब आप कुछ इस तरह से सूचीबद्ध कर रहे हों। असंगत के विवरण के लिए, हमारे पास समृद्ध शब्दावली है।

- सीमान्तीकृत
- पददलित
- वंचित
- निराश्रित
- गरीबी से त्रस्त
- खाली हाथ
- भाग्यहीन
- दरिद्र

[हम यहां बुलेट्स का उपयोग करते हैं, और इन्हें कभी भी संख्याबद्ध नहीं करते हैं। यह सूची बढ़ सकती है]।

(2) सार कैसे लिखें?
मैं शोध पत्रों के सार को लिखने के लिए व्यापक रूप से अनुसरण किए जाने वाले दो स्वरूपों को नीचे देता हूं। आप इनमें से किसी का भी अनुसरण कर सकते हैं।

सूत्र -1: संदर्भ + समस्या + मुख्य बिंदु: तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने 2011 में समावेशी सेवा वितरण नीति की शुरुआत की थी। (संदर्भ)। यूएनडीपी द्वारा किए गए एक अध्ययन के परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि ग्राम पंचायतों के मुख्य गांवों को सम्मिलित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियां सेवा से वंचित हैं, (समस्या)। इस अध्ययन में यह पाया गया कि जल आपूर्ति की पर्याप्तता और सुरक्षा के मामले में समानता हासिल की गई है, हालांकि, तय की गई दूरी और आपूर्ति की नियमितता के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियां सेवा से वंचित हैं, (मुख्य बिंदु)।

सूत्र - 2: संदर्भ + समस्या + आरंभ बिंदु: तत्कालीन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने 2011 में समावेशी सेवा वितरण नीति की शुरुआत की थी। (संदर्भ)। यूएनडीपी द्वारा किए गए एक अध्ययन के परिणाम सामने आए हैं जो बताते हैं कि ग्राम पंचायतों के मुख्य गांवों को सम्मिलित किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियां सेवा से वंचित हैं, (समस्या)। इस अध्ययन में यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि क्या चार महत्वपूर्ण मानकों, अर्थात् (i) पर्याप्तता, (ii) सुरक्षा, (iii) तय की गई दूरी, और (iv) नियमितता पर पेयजल आपूर्ति में समानता हासिल की गई है। [आरंभ बिंदु]।

कोई भी सार आमतौर पर 100 -150 शब्दों में होता है। कुछ दुर्लभ मामलों में, कतिपय पत्रिकाएं अधिकतम 250 शब्दों की अनुमति देते हैं। एक 'विशेष सारांश' आम तौर पर लगभग 500 शब्दों का हो सकता है, जबकि सारांश पूरी रिपोर्ट के उद्देश्य और लंबाई के आधार पर लगभग 2-10 पृष्ठों का होता है। सारांश में आमतौर पर इस तरह के खंड होते हैं: (i) अध्ययन का शीर्षक; (ii) अध्ययन दल; (iii) परिचय; (iv) उद्देश्य; (v) कार्यप्रणाली; (vi) अध्ययन क्षेत्र; (vii) निष्कर्ष; और (viii) उपसंहार।

विशेष सारांश में, सबसे दिलचस्प बिन्दुओं को छोटे आकार में प्रस्तुत किया जाता है। इसे संक्षेप में निर्धारित करना चाहिए: रिपोर्ट का उद्देश्य, मुख्य निष्कर्ष, मुख्य उपसंहार और सिफारिशें। उद्देश्य मुख्य मुद्दों की शीघ्र समझ है, व्यस्त पाठकों को अन्य चीजों की उपेक्षा करने तथा प्रस्तावित कार्य बिंदुओं तक पहुंचने में सक्षम बनाना है, और यदि सूचित कार्यविधि आर्थिक रूप से व्यवहार्य, प्रशासनिक रूप से व्यवहार्य/कार्यान्वयन योग्य और राजनीतिक रूप से स्वीकार्य हो तो व्यवस्थापक को इस पर विचार करने के लिए सक्षम बनाना है।

(3) संक्षेपाक्षर और परिवर्णी शब्द: छात्र अपने शोध प्रबंधों में संक्षेपाक्षर और परिवर्णी शब्द प्रस्तुत करते हैं, अक्सर, यह नहीं जानते कि कौन सा क्या है। संक्षेपाक्षरों और परिवर्णी शब्दों की सूची अक्सर अनुचित दिखती है। एक संक्षिप्त नाम आम तौर पर शब्दों का संक्षिप्त रूप है जिसका उपयोग समग्रता का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जैसे, एनआईआरडीपीआर, सीबीआई, आईएमएफ, जीएसटी और अन्य जैसे कि डॉ. प्रो. स्टेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आदि भी संक्षेपाक्षर हैं।

एक परिवर्णी शब्द एक शब्द के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक संक्षेपाक्षर है जो एक वाक्यांश या एक शब्द में प्रारंभिक घटकों से बनता है, और लगभग एक शब्द के रूप में उच्चारित किया जाता है जैसे कि एड्स, नासा, पिन, ओपेक आदि। संक्षेपाक्षरों में एक तीसरी श्रेणी है, जिसे संकुचन या संकुचित रूप कहा जाता है। वे हैं: 'Do not' को 'Don't' के रूप में लिखा जाता है; और 'Can not' को 'Can't' के रूप में लिखा जा सकता है, आदि। हम उन्हें सूचीबद्ध करते हैं, यह नहीं जानते कि कौन सा क्या है।

अपने आप से एक सवाल करते हुए मैं इस लेख को समाप्त करना चाहता हूं: कौन तय करता है कि 'अच्छा लेखन' क्या है? इस प्रश्न का उत्तर एक अन्य प्रश्न द्वारा ही दिया जा सकता है। एक शोधकर्ता को एपीए शैली नियमावली (7 वें संस्करण) का अनुसरण क्यों करना चाहिए? सादी अंग्रेजी के बुनियादी सिद्धांत हैं, और अच्छे लेखन के तत्व अकादमिक समुदाय के बीच सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानक अभ्यास बन गए हैं। सामाजिक विज्ञान और मानविकी की विभिन्न शाखाओं के अध्येताओं के बीच उन्हें वैज्ञानिक लेखन, अकादमिक लेखन, शैली नियमावली आदि के रूप में जाना जाता है। यह मानकों के संदर्भ में सार्वभौमिकता प्राप्त करने में मदद करता है।

इस तरह से अपने शिल्पकला को सीखने से एक अच्छे लेख को उत्कृष्ट बनाने में मदद मिलती है! इस दिशा में पहला कदम है: लेखन में स्पष्टता प्राप्त करना। यह टिम डी लिस्ले ऑफ द कॉनेल गाइड का 'हाउ टू राइट वेल' हैं, जो कहते हैं: यदि आपसे केवल एक चीज हो सकती हैं, तो उसे ही पूरी तरह से कीजिए। यह एक मामूली महत्वाकांक्षा की तरह लगता है, लेकिन हम अक्सर इससे चूक जाते हैं।

वैसे, क्षेत्र टिप्पणी क्षेत्र डायरी से किस प्रकार भिन्न हैं? अपने पाठक को असमंजस में रखें। अंत में, यदि आप जानबूझकर अपने पाठकों को सस्पेंस में छोड़ने का निर्णय लेते हैं ताकि वे अपनी ओर से भी खोज करें, यह वास्तव में एक अच्छी रणनीति है।

डॉ. आर. रमेश
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
ग्रामीण अवसंरचना केंद्र,
एनआईआरडीपीआर
चित्रण: **श्री वी.जी. भट्ट,** कलाकार, सीडीसी

ग्रामीण विकास संस्थानों के संकाय के लिए प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के मानव संसाधन विकास केंद्र ने 22-26 फरवरी, 2021 के दौरान 'ग्रामीण विकास संस्थानों के संकाय के लिए प्रशिक्षण विधियों और तकनीकों' पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

ग्रामीण विकास संस्थानों के ग्रामीण विकास अधिकारियों एवं संबद्ध विभागों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम की योजना बनाई गयी, जहां कार्यक्रमों / योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस कार्यक्रम की आवश्यकता एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में विभिन्न बैठकों के दौरान व्यक्त की गई थी।

इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे: (i) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिभागियों को प्रशिक्षण विधियों के कौशल से लैस करना; (ii) प्रतिभागियों में

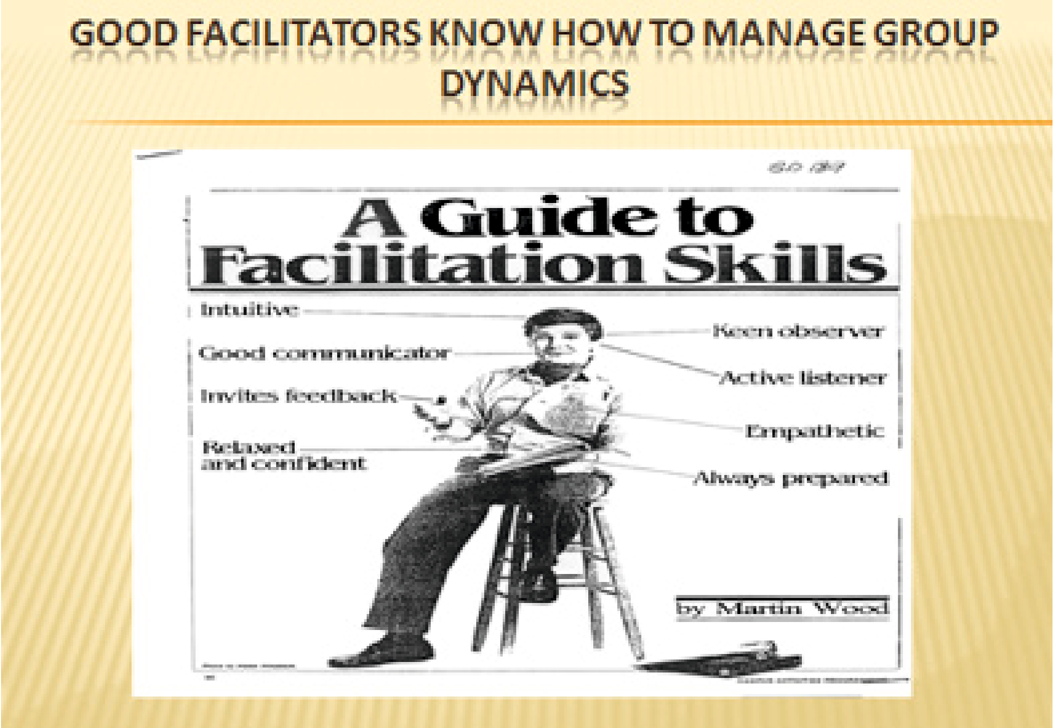

प्रभावी प्रस्तुति कौशल और तकनीक विकसित करना; (iii) व्यवहार कौशल समेत एक प्रभावी प्रशिक्षक कैसे बनें इस पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना; और (iv) ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण दृष्टिकोण और रणनीतियों की प्रवृत्तियों को निर्दिष्ट करना।

डॉ. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं प्रमुख सी एच आर डी ने कार्यक्रम का उद्घाटन तथा प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने ग्रामीण विकास संस्थानों के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकताओं का संदर्भ दिया और प्रतिभागियों को उसके महत्व के बारे में समझाया।

इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 31 प्रतिभागियों (22 पुरूष और 9 महिलायें) ने भाग लिया। सभी प्रतिभागी 11 राज्यों से उपस्थित हुए (झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब,, राजस्थान और महाराष्ट्र)। सभी प्रतिभागी एसआईआरडी, ईटीसी, पीआरटीसी और डीआरसीपी संकायों से उपस्थित हुए। प्रतिभागियों को कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी लगा और सुझाव दिया कि नियमित अंतरालों पर भौतिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किये जाए। उनके फीडबैक से यह उजागर हुआ हैं कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात उनके ज्ञान में (94 प्रतिशत) कौशल में (94 प्रतिशत) और दृष्टिकोण में (92 प्रतिशत) क्रमिक वृद्धि हुई है।

प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधार उपाय समिति से प्राप्त टिप्पणियों के अनुसार उद्देश्यों, विषय क्रम, प्रशिक्षण पद्धतियों और प्रत्येक सत्र से अपेक्षित निष्कर्षों की योजना की गई।

कार्यक्रम के पहले दिन प्रशिक्षण और विकास की महत्ता, प्रशिक्षण प्रक्रिया और पद्धतियाँ, शिक्षण सिद्धान्तों के बारे में जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे दिन प्रशिक्षण की विभिन्न पद्धतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। चौथे और पांचवे दिन प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तकनीकों जैसे - प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सिद्धांतों को तैयार करना, प्रशिक्षण का मूल्यांकन - सिद्धांत एवं तकनीक, प्रभावी कौशल प्रस्तुतीकरण, क्लासरूम गतिशीलता को कैसे संभाले, निपुण प्रशिक्षक के गुण, अनुपालन हेतु कार्य योजना इत्यादि। इसके अतिरिक्त पूर्व दिन के पठन एवं कार्यों पर भी अवलोकन किया गया।

अनुभवी विषय विशेषज्ञों में एनआईआरडीपीआर के संकाय सदस्य एवं बाहरी स्रोत व्यक्ति भी शामिल थे। एनआईआरडीपीआर के अन्य केन्द्रों से आमंत्रित स्रोत व्यक्तियों में डॉ. टी.विजय कुमार, डॉ. राजेश कुमार सिंहा, डॉ. पीपी साहू, डॉ. एम. श्रीकांत, डॉ. आर. रमेश और श्री के. राजेश्वर आदि शामिल थे।

कुछ अन्य नामी संस्थानों के स्रोत व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया जिसमें शामिल हैं डॉ. जया, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद, डॉ. सी.एस. सिंघल, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) एनआईआरडीपीआर, डॉ. के.एच. राव, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद एवं डॉ. सी. रानी पूर्व निदेशक, स्कूल फॉर एन्टरप्रिनियुअर एंड एक्सटेंशन एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, हैदराबाद।

प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त सुझावों एवं फीडबैकों आधार पर सी एच आर डी द्वारा वर्ष 2021 - 2022 में इस कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है।

प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीकी पर उनके ज्ञान को उद्घाटन और नवीन पर तैयार किये गए कार्यक्रम हेतु सी एच आर डी, एन आई आर डी पी आर की अत्यंत प्रशंसा की। उन्होंने राय दी कि जिला स्तरीय पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने में काफी सहायक होगा जिससे वे निचले स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से कार्यान्वित कर सके।

पाठ्यक्रम संयोजक ने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया और सलाह दी की अपने संबंधित संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करते समय इन प्रशिक्षण पद्धतियों और तकनीक को अमल में लायें।

इस कार्यक्रम का संयोजन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव विकास संसाधन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद ने किया।

पीटी हुई मिट्टी (रैम्ड अर्थ) और ढली हुई मिट्टी (पोर्ड अर्थ) से दिवार का निर्माण पर दो दिवसीय अनुभव परक प्रशिक्षण सह कार्यशाला

ढली हुई मिट्टी से दिवार का निर्माण पर प्रतिभागियों को अनुभव

कौशल एवं जॉब हेतु नवोन्मेषण एवं सततयोग्य तकनोलॉजी केन्द्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, (एनआईआरडीपीआर) ने दिनांक 25-26 मार्च, 2021 से तेलंगाना से आए वास्तुविदों, इंजीनियरों एवं छात्रों के लिए ''पीटी हुई मिट्टी और ढली हुई मिट्टी से दिवार का निर्माण'' पर दो दिवसीय अनुभव परक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । कार्यक्रम का संयोजन डॉ. रमेश सक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रमुख, सीआईएटी एवं एस जे, एनआईआरडीपीआर ने किया उन्होंने समग्र सततयोग्य विकास के लिए पर्यावरण मैत्री आवास प्रौद्योगिकी के उपयोग की महत्ता पर जोर दिया ।

मिट्टी की दिवार के निर्माण की प्रक्रिया पर व्यापक रूप से अनुसंधान किया गया है और इसके भाग के रूप में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर ने विभिन्न पारंपरिक सांचो का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की पीटी हुई मिट्टी से दिवारों का निर्माण किया है । इस प्रयोग का उद्देश्य अधिकतम फोर्मवर्क सिस्टम का विकास करना है ताकि लागत में कमी हो और निर्माण अभिवृद्धि को सरल बनाया जा सके ।

इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपना मकान निर्माण करने में सामग्री खरीद नहीं सकते है और मजदूरी का वहन नहीं कर सकते है । हाल के वर्षों में पीटी हुई मिट्टी और ढली हुई मिट्टी से निर्माण कार्य करना पर्यावरण के प्रति एक जागरूक वास्तुविद् और आलंकारिक सजावटी मकान निर्माण के व्यक्तियों में काफी लोकप्रिय हुआ है । पीटी हुई मिट्टी की दिवार में भवन के मलबा या कचरे का उपयोग किया जाना है और इस प्रकार यह पुन: उपयोग की रद्दी सामग्री की संकल्पना पर कार्य करता है ।

कार्यशाला में प्रतिभागी भिन्न-भिन्न आयामों से आए हुए थे जैसे – वास्तुविद्, इंजीनियर्स, इच्छुक व्यक्ति और छात्र आदि इससे कार्यशाला के पाठ्यक्रम के दौरान सक्रिय परिचर्चा संपन्न हुई । कार्यशाला इस तरह से आयोजित की गई कि इसमें पीटी हुई मिट्टी और ढली हुई मिट्टी के तकनोलॉजी के सिद्धांत को समझा जा सके ।

डॉ. रमेश सक्तिवेल ने पहले दिन सीआईएटी एवं सीजे के कार्यो की रूपरेखा दी एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के कार्यो एवं सततयोग्य विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके प्रगति की भूमिका की जानकारी दी । आगे, उन्होंने बेहत्तर कल के लिए जीवन के रहन-सहन में सततयोग्य पद्धति को अपनाने एवं प्रति व्यक्ति में सोंच को प्रारंभ करने पर जोर दिया ।

डॉ. भावना एवं डॉ. विवेक इस अवसर पर स्रोत व्यक्ति रहे जिन्हें देशभर में पीटी हुई मिट्टी और ढली हुई मिट्टी निर्माण में काफी अच्छा खासा अनुभव प्राप्त है । उनके विस्तारपूर्वक प्रस्तुतीकरण में उसके इतिहास की समझ, निर्माण की पद्धति एवं पीटी हुई मिट्टी और ढली हुई मिट्टी के दिवार निर्माण के वर्तमान परिदृश्य में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

इस सत्र के बाद राष्ट्रीय भवन निर्माण केन्द्र के तकनीकी दौरे पर विस्तारपूर्वण जानकारी दी गई जिसमें विभिन्न पर्यावरण मैत्री सौहार्द और किफायती प्रौद्योगिकियों को दर्शाया गया। पीटी हुई मिट्टी और ढली हुई मिट्टी को मिलाकर उन्हें प्रायोगिक रूप से दर्शाया गया । प्रतिभागियों को कार्यशाला का पहला दिन काफी रोचक लगा।

प्रतिभागियों को चरण वार प्रक्रिया को समझाया गया जिससे वे प्रक्रिया को सरलता से करने में समर्थ रहे । दूसरे दिन की शुरूआत पीटी हुई मिट्टी के सांचे को संग्रहित कर तथा मिट्टी को हाथ से मिलाने के कार्य से हुई।

प्रश्नोत्तर सत्र के साथ दो दिवसीय कार्यशाला समाप्त हुई । इसके बाद प्रमाणपत्रों को वितरित किया गया।

कुल मिलाकर 23 प्रतिभागी कार्यशाला में उपस्थित हुए। संपूर्ण रूप में प्रतिभागियों ने महसूस किया कि कार्यशाला में प्रदर्शित और दर्शाए गए विभिन्न वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को सामान्य रूप से निर्माण कार्य में उपयोग में लाया जा सकता है । उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे सततयोग्य निर्माण प्रौद्योगिकियों पर अधिक से अधिक कार्यशालाओं में भाग लेना चाहते हैं।

डॉ. रमेश सक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष (प्रभारी) सीआईएटी एवं एसजे तथा उनकी टीम के साथ प्रतिभागीगण

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी